पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 250/2025

अनवान :

1. प्रमोद पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवारी भिरानी तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. बलवन्त पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. निलम पुत्री बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। :– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 249/113 के मु0 नं0 105 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 20, 21 मु0 नं0 106 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु0 नं0 171 के किला नं0 22 ता 24, मु0 नं0 178 के किला नं0 2 ता 8, मु0 नं0 288 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20 मु0 नं0 289 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, मु0 नं0 375 के किला नं0 10, 11, 20 मु0 नं0 376 के किला नं0 6, 15, 16 कुल किता 49 की कुल 12.397 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त पुत्र भूराराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बलवन्त अकेले की बजाय वादी 1 प्रमोद व प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Nidhi

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2026.02.24 17:55:09 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़